

न्यायालय : आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

कमांक. / 1074 / 2020

मंदसौर, दिनांक 28.07.2020

- :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अगस्त 2020 ::-


माह अगस्त 2020 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में मंदसौर जिला एवं नारायणगढ़, सीतामउ, गरोठ एवं भानपुरा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड ड्यूटी नियत की जाती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य की जावेगी।

- :: जिला मुख्यालय-मंदसौर ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह अगस्त 2020
1	श्रीमती मंजू सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	30-08-2020
2	श्री आलोक प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	02-08-2020 03-08-2020
3	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	01-08-2020
4	श्री समीर कुमार मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	09-08-2020 16-08-2020
5	श्री सुशील गेहलोत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	22-08-2020 23-08-2020
6	श्रीमती निर्मला वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	12-08-2020 15-08-2020

- :: तहसील मुख्यालय-नारायणगढ़ ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह अगस्त 2020
1	श्री संतोष बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	01-08-2020 02-08-2020 03-08-2020
2	श्री साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	15-08-2020 16-08-2020 30-08-2020
3	श्री ललित कुमार मईड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	09-08-2020 12-08-2020 22-08-2020 23-08-2020

  
28/7/20

- ::तहसील मुख्यालय-सीतामऊ ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह अगस्त 2020
1	श्री विरेंद्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ	01-08-2020 02-08-2020 03-08-2020 23-08-2020 30-08-2020
2	दिलीप सिंह परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ	09-08-2020 12-08-2020 15-08-2020 16-08-2020 22-08-2020

- ::तहसील मुख्यालय-गरोठ ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह अगस्त 2020
1	श्री कमलेश भरकुंदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	09-08-2020 12-08-2020 15-08-2020 16-08-2020 30-08-2020
2	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	01-08-2020 02-08-2020 03-08-2020 22-08-2020 23-08-2020

- ::तहसील मुख्यालय-भानपुरा ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह अगस्त 2020
1	श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा	01-08-2020 02-08-2020 03-08-2020 09-08-2020 12-08-2020 15-08-2020 16-08-2020 22-08-2020 23-08-2020 30-08-2020

उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त माह अगस्त-2020 में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है, तो मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन कमशः श्री आलोक प्रताप सिंह/श्री विरेंद्र जोशी/श्री ललित कुमार मेड़ा/श्री कमलेश भरकुंदिया/श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा किया जावेगा।

*(Handwritten Signature)*  
28/7/20

उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन सहित आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

माह अगस्त 2020 के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को मंदसौर/नारायणगढ़/सीतामउ/गरोठ/भानपुरा न्यायिक स्थापनाओं पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने/अनुपस्थित रहने की स्थिति में रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उक्त पदस्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जावेगा। न्यायिक स्थापना भानपुरा पर एकमात्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री लक्ष्मण डोडवे होने से उनके अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में रिमांड ड्यूटी का निष्पादन रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायालय गरोठ में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित किया जावेगा।

प्रकरणों की सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जावे। रिमांड ड्यूटी के दौरान न्यायालय में जिन पक्षकार/अभिभाषक को सुने जाने की आवश्यकता हो, उन्हें उनके मोबाइल पर लिंक प्रेषित कर Vidyo mobile app के माध्यम से अथवा न्यायालय के विडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाना सुनिश्चित किया जावे। आपवादिक परिस्थिति में ही संबंधित पक्षकार/अभिभाषक को न्यायालय में सुना जावे।

उक्त रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादन हेतु न्यायिक अधिकारी अपने न्यायालय में नियुक्त यथायोग्य न्यूनतम कर्मचारियों के माध्यम से निष्पादित करावे। समस्त न्यायालयीन कर्मचारी कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ न्यायालयों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए, समस्त प्रकार के संसाधन जैसे सेनेटाईजर, मास्क आदि के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

रिमांड ड्यूटी कक्ष को भी सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे तत्संबंध में रिमांड ड्यूटी आदेश की एक प्रति नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग को प्रेषित की जावे।

**नोट :-** प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री राजेश्वरी जर्मन एवं श्री विशाल जेटवा माह अगस्त 2020 में मंदसौर मुख्यालय पर किन्ही भी तीन अवकाश दिवसों पर रिमांड न्यायालय में उपस्थित रहकर संबंधित मजिस्ट्रेट से रिमांड संबंधी प्रशिक्षण लेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रशिक्षण समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संबंधित न्यायिक अधिकारी को अवगत कराया जावे।

**विशेष :-** यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

(आशीष प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मंदसौर (म.प्र.)

पृ.क.:-1075/2020


मंदसौर, दिनांक 28.07.2020

**प्रतिलिपि :-** (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/20

- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामउ/ नारायणगढ़/गरोठ/ भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेजे के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।

  
(आशीष प्रतीप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मंदसौर (म.प्र.)